



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA



आरबीआई/विवि/2024-25/122

विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25

30 जुलाई 2024

सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)

सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी

सभी क्रेडिट सूचना कंपनी

महोदय/ महोदया,

इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के निर्वाहन पर मास्टर निदेश

इरादतन ऋण चुकता न करने वालों पर यह मास्टर निदेश एक व्यापक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है, जो उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विनियामक ढांचे और प्रक्रियाओं को चित्रित करता है। यह निर्देश, उन उधारकर्ताओं के लिए उपायों और परिणामों की रूपरेखा तैयार करके जो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में इरादतन चूक करते हैं, वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. यह मास्टर निदेश [सितंबर 2023](#) में हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निर्णायक भारतीय रिज़र्व बैंक (इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2024 इसके साथ [संलग्न](#) है।

भवदीय,

(जे. पी. शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2024

विषय सूची

अध्याय I	4
प्रारंभिक	4
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	4
2. प्रयोज्यता	4
3. परिभाषाएँ	4
अध्याय II	11
इरादतन चूककर्ताओं का निर्वाहन	11
4. सामान्य अपेक्षाएँ	11
5. इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध विशिष्ट उपाय	13
6. पारदर्शी तंत्र का प्रावधान	16
7. आंतरिक लेखा-परीक्षा की भूमिका	16
8. गारंटर का दायित्व (देनदारी)	16
अध्याय III	18
इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग	18
9. बड़े चूककर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार	18
10. इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार	19
11. समझौता निपटान का निर्वाहन	20
12. अन्य ऋणदाताओं और एआरसी को बेचे गए चूक किए गए ऋणों का निर्वाहन	20
13. ऐसे खातों के उपाय जहां समाधान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)/रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा दिशानिर्देशों के अंतर्गत किए जाते हैं	21
14. सही रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी	21
15. गारंटीकर्ताओं की रिपोर्टिंग	22
16. निदेशकों की रिपोर्टिंग	22
अध्याय IV	23
निवारक उपाय और लेखा परीक्षकों की भूमिका	23
17. निवारक उपाय	23
18. सांविधिक लेखा-परीक्षकों की भूमिका	24
19. तृतीय पक्ष की भूमिका	25
अध्याय V	26
निरसन प्रावधान	26
अनुबंध I	27
अनुबंध II	31
परिशिष्ट	33



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक

(इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एल, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, धारा 35-ए और धारा 35-ए के साथ पठित धारा 56 और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, तथा देश की ऋण प्रणाली को उसके लाभ के लिए विनियमित करने के लिए, एतद्वारा निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

उद्देश्य

इन निदेशों का प्राथमिक उद्देश्य उधारदाताओं द्वारा किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए एक गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करना है। निदेशों का उद्देश्य इरादतन चूककर्ताओं के बारे में ऋण संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है ताकि ऋणदाताओं को सावधान किया जा सके एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आगे संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाए।

अध्याय । प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये निदेश रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने के 90 दिनों के बाद लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) इन निदेशों में शामिल इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित प्रावधान इन निदेशों में परिभाषित 'ऋणदाताओं' पर लागू होंगे।

(2) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) और क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी) केवल अध्याय III में निहित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में इन निदेशों से बाध्य होंगी।

(3) इरादतन चूककर्ताओं के लिए आगे की वित्तीय सुविधा पर प्रतिबंध रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होगा, भले ही वे इन निदेशों में दिए गए 'ऋणदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हों या नहीं।

(4) इन निदेशों में शामिल बड़े चूककर्ताओं से संबंधित प्रावधान रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे, भले ही वे इन निदेशों में प्रदान की गई 'ऋणदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हों या नहीं।

(5) इन निदेशों के साथ, [22 दिसंबर 2014 के परिपत्र डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15](#) में निहित गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के संबंध में निदेश निरस्त कर दिए जाते हैं। इस मास्टर निदेश के जारी होने के साथ [परिशिष्ट](#) में उल्लिखित 'निरस्त किए गए परिपत्रों' की सूची का भी संदर्भ लें।

3. परिभाषाएँ

(1) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)"¹ का अर्थ है -

¹ वे संस्थान जिन्हें वर्तमान में एआईएफआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन पहले उन्हें उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई थी, वे इरादतन चूककर्ता के नए मामलों की रिपोर्ट नहीं करेंगे और केवल पहले से इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत अनुमति प्राप्त खातों के लिए सीआईसी को अद्यतन/संशोधन, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करेंगे।

- (i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक);
- (ii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड);
- (iii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी);
- (iv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी); और
- (v) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID)

(बी) “बैंक” का अर्थ -

- (i) सभी वाणिज्यिक बैंक ².
- (ii) सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक,
- (iii) संशोधित विनियामक ढांचे के अनुसार टियर 3 और 4 के अंतर्गत आने वाले सभी गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - विनियामक उद्देश्यों³ के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण
- (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और
- (v) स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी).

(सी) “उधारकर्ता” का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने ऋणदाता से ऋण सुविधा प्राप्त की है।

(डी) “क्रेडिट सुविधा” का अर्थ फंड आधारित या गैर-फंड-आधारित सुविधा है, जिसमें डेरिवेटिव, गारंटी और ऋण पत्र जैसी तुलन पत्र से इतर मदें शामिल हैं, जो ऋणदाता ने उधारकर्ता को प्रदान की हैं।

(ई) “क्रेडिट सूचना कंपनी” (सीआईसी) का अर्थ ऐसी कंपनी है जिसे क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(एफ) “निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिया गया है।

² जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धाराओं (ग), (घक) और (डग) के तहत परिभाषित किया गया है।

³ जैसा कि संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क - विनियामक उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वर्गीकरण पर [01 दिसंबर 2022 के परिपत्र डीओआर.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23](http://डीओआर.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23) में दर्शाया गया है।

(जी) **“निदेशक”** का अर्थ उस कंपनी का निदेशक है जिसे बड़े चूककर्ता/इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था और वह उस समय कंपनी से जुड़ा था जब कंपनी/उसके निदेशकों द्वारा हुई किसी भूल या चूक के कारण कंपनी को डिफाल्ट हुआ था।

(एच) **“धनराशि का विपथन”** का अर्थ और इसमें निम्नलिखित घटनाएँ शामिल हैं:

- (i) ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुरूप नहीं होने वाले दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी निधि का उपयोग;
- (ii) क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त धनराशि को उन परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाना, जिनके लिए क्रेडिट स्वीकृत नहीं किया गया था;
- (iii) ऋण सुविधा का उपयोग करके प्राप्त धनराशि को अनुषंगी कंपनियों/समूह कंपनियों या अन्य संस्थाओं को, किसी भी तरीके से, ऋणदाता/संघ के सभी ऋणदाताओं की स्वीकृति के बिना अंतरित करना;
- (iv) ऋणदाता या कंसोर्टियम के सदस्यों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऋणदाता या कंसोर्टियम के सदस्यों के अलावा किसी अन्य ऋणदाता के माध्यम से निधियों को प्रेषित करना;
- (v) ऋणदाता या कंसोर्टियम के सदस्यों की मंजूरी के बिना इक्विटी/ऋण लिखतों को प्राप्त करने के माध्यम से अन्य कंपनियों/इकाइयों में क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त धनराशि का निवेश करना; और
- (vi) क्रेडिट सुविधा के तहत वितरित/आहरित राशि की तुलना में धन को लगाने में कमी और अंतर का हिसाब नहीं दिया जाना।

(आई) **“गारंटर”** वह व्यक्ति/संस्था है जिसने क्रेडिट सुविधा की गारंटी दी है।

(जे) **“पहचान समिति”** का अर्थ एक ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता की पहचान करने के लिए गठित समिति है और इसमें निम्न शामिल होंगे:

- (i) वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों और आरआरबी को छोड़कर) और एआईएफआई के मामले में, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/सीईओ या समकक्ष अधिकारी के अलावा एक पूर्णकालिक निदेशक अध्यक्ष के रूप में और दो वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में, जो समिति के अध्यक्ष से दो रैंक से अधिक नीचे नहीं होंगे। ऐसे मामलों में जहां एमडी और सीईओ/सीईओ या समकक्ष अधिकारी के अलावा केवल एक पूर्णकालिक निदेशक है, ऐसे पूर्णकालिक निदेशक समीक्षा समिति का हिस्सा हो सकते हैं [जैसा कि नीचे पैरा 3 (1) (आर) में

परिभाषित किया गया है] यदि एमडी और सीईओ/सीईओ या समकक्ष अधिकारी का पद रिक्त है। ऐसे मामलों में पूर्णकालिक निदेशक से एक रैंक नीचे का अधिकारी पहचान समिति की अध्यक्षता कर सकता है, तथा दो वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे, जो समिति के अध्यक्ष से एक रैंक से अधिक नीचे नहीं होंगे।

बशर्ते कि उपयुक्त सीमा से नीचे की ऋण सुविधाओं के संबंध में, वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, पहचान समिति का गठन कर सकते हैं, जिसमें पूर्णकालिक निदेशक के पद से ठीक नीचे के अधिकारी को अध्यक्ष तथा दो वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जो समिति के अध्यक्ष से दो पद से अधिक नीचे नहीं होंगे। वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) इस खंड के तहत एकाधिक पहचान समितियाँ बना सकते हैं।

(ii) विदेशी बैंकों के मामले में, राष्ट्र प्रमुख/सीईओ से एक रैंक नीचे का अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा दो वरिष्ठ अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष से दो रैंक से अधिक नीचे नहीं होंगे, सदस्य होंगे।

(iii) शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में, एमडी/सीईओ से एक रैंक नीचे का अधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा दो वरिष्ठ अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष से दो रैंक से अधिक नीचे नहीं होंगे, सदस्य होंगे।

(iv) आरआरबी के मामले में, आरआरबी के अध्यक्ष से एक रैंक नीचे का अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में तथा दो वरिष्ठ अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष से दो रैंक से अधिक नीचे नहीं होंगे, सदस्य होंगे।

(के) **“स्वतंत्र निदेशक”** का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिया गया है।

(एल) **“बड़े चूककर्ता”** का अर्थ है ₹1 करोड़ और उससे अधिक की बकाया राशि वाला चूककर्ता, तथा -

(i) जहां मुकदमा दाखिल किया गया है; अथवा

(ii) जिनके खाते को (रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार) संदिग्ध अथवा हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(एम) **“ऋणदाता”** का अर्थ एआईएफआई, बैंक या एनबीएफसी है जिसने उधारकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान की है।

(एन) “नामित निदेशक” का अर्थ ऋणदाता, विनियामक प्राधिकरण, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक है।

(ओ) “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)” का अर्थ स्केल आधारित विनियामक फ्रेमवर्क⁴ के अनुसार एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) और उससे ऊपर की लेयर के अंतर्गत आने वाली सभी एनबीएफसी है।

(पी) “पेशेवर निदेशक” का अर्थ उस निदेशक से है जिसके संबंध में निदेशक मंडल- यूसीबी पर दिनांक [1 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र यूबीडी. सीओ. बीपीडी.एमसी सं. 8/12.05.001/2013-14](#) - (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 1.6 में उल्लेख है।

(क्यू) “प्रवर्तक” का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में रखा गया है या कंपनी द्वारा वार्षिक रिटर्न में पहचाना गया है, और (i) कंपनी के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है, चाहे वह एक शेयरधारक के रूप में हो, निदेशक या अन्यथा; और/या (ii) जिसकी सूचनी, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल कार्य करने में अभ्यस्त है।

(आर) “समीक्षा समिति” का अर्थ पहचान समिति के प्रस्ताव की समीक्षा के उद्देश्य से ऋणदाता द्वारा गठित समिति है और इसमें शामिल होंगे:

(i) वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों और आरआरबी के अलावा) और एआईएफआई के मामले में, पूर्णकालिक निदेशक जो ऋणदाता के एमडी और सीईओ/सीईओ या समकक्ष अधिकारी हैं, अध्यक्ष के रूप में और दो स्वतंत्र निदेशक या गैर-कार्यकारी निदेशक या समकक्ष अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

जहां एमडी और सीईओ/सीईओ या समकक्ष अधिकारी का पद रिक्त है, वहां एमडी और सीईओ/सीईओ या समकक्ष अधिकारी के स्थान पर पूर्णकालिक निदेशक के साथ समीक्षा समिति गठित की जाएगी। ऐसे मामलों में, समीक्षा समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों या गैर-कार्यकारी निदेशकों या समकक्ष अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

बशर्ते कि एक सीमा से नीचे की ऋण सुविधाओं के संबंध में, वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक समीक्षा समिति का गठन कर सकते हैं, जिसके अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक निदेशक या समकक्ष अधिकारी के पद का अधिकारी और सदस्य के रूप में दो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो समिति के अध्यक्ष से दो पद से अधिक निम्न नहीं होंगे। वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) इस खंड के अंतर्गत अनेक समीक्षा समितियां गठित कर सकते हैं।

⁴ जैसा कि स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) पर [22 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22](#): एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क में दिया गया है।

- (ii) विदेशी बैंकों के मामले में, देश प्रमुख/सीईओ अध्यक्ष होंगे तथा दो वरिष्ठ अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष से एक पद से अधिक निम्न न हों, सदस्य होंगे।
- (iii) शहरी सहकारी बैंकों के मामले में एमडी/सीईओ अध्यक्ष होंगे तथा दो पेशेवर निदेशक सदस्य होंगे।
- (iv) एनबीएफसी के मामले में, एमडी/सीईओ अध्यक्ष होंगे तथा दो स्वतंत्र निदेशक या गैर-कार्यकारी निदेशक या समकक्ष अधिकारी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
- (v) आरआरबी के मामले में, आरआरबी के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के खंड 9.1 (ए) या 9.1 (डी) के तहत नामित दो निदेशक सदस्य होंगे।

नोट: समीक्षा समिति में वे सदस्य शामिल नहीं होंगे जो पहचान समिति का हिस्सा हैं।

(एस) **“धन की हेराफेरी”** तब हुई मानी जाएगी यदि उधारदाताओं से क्रेडिट सुविधा का उपयोग करके प्राप्त किसी भी धनराशि का उपयोग उधारकर्ता के संचालन से असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(टी) **“इरादतन चूक”** (i) किसी उधारकर्ता द्वारा ऐसा तब माना जाएगा जब उधारकर्ता ऋणदाता को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक विशेषताएं देखी जाती हैं:

- (ए) उधारकर्ता के पास उक्त दायित्वों को निभाने की क्षमता है;
- (बी) उधारकर्ता ने ऋण सुविधा के तहत प्राप्त धनराशि को ऋणदाता से विपथित किया है;
- (सी) उधारकर्ता ने ऋणदाता से ऋण सुविधा के तहत प्राप्त धनराशि की हेराफेरी की है;
- (डी) उधारकर्ता ने ऋणदाता की मंजूरी के बिना ऋण सुविधा हासिल करने के उद्देश्य से दी गई अचल या चल आस्तियों का निपटान कर दिया है;
- (ई) उधारकर्ता या प्रमोटर इक्विटी लगाने की क्षमता होने के बावजूद इक्विटी लगाने के लिए ऋणदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में विफल रहा है, हालांकि ऋणदाता ने इस प्रतिबद्धता और अन्य अनुबंधों और शर्तों के आधार पर उधारकर्ता को ऋण या कुछ रियायतें प्रदान की हैं।
- (ii) यदि गारंटर के पास बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन होने के बावजूद, ऋणदाता द्वारा इनवोक किए जाने पर गारंटर गारंटी का सम्मान नहीं करता है या ऋणदाता की स्वीकृति के बिना ऋण सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदान की गई अचल या चल आस्तियों का

निपटान कर देता है या ऋणदाता को इक्विटी लगाने की प्रतिबद्धता में विफल रहता है, हालांकि ऋणदाता ने इस प्रतिबद्धता के आधार पर उधारकर्ता को ऋण या कुछ रियायतें प्रदान की हैं।

(यू) **“इरादतन चूककर्ता”** का अर्थ है

- (i) एक उधारकर्ता या गारंटर जिसने इरादतन चूक की है और बकाया राशि ₹25 लाख और उससे अधिक है, या जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, और
 - (ii) जहां इरादतन चूककर्ता उधारकर्ता या गारंटर कोई कंपनी है, उसके प्रवर्तक और निदेशक हैं, निम्नलिखित पैरा 4 (1) (सी) के प्रावधानों के अधीन। इकाई (कंपनियों के अलावा) के मामले में, वे व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं।
- (2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन निदेशों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, या कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है।

अध्याय II इरादतन चूककर्ताओं का निर्वाहन

4. सामान्य अपेक्षाएँ

(1) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और वर्गीकरण के लिए प्रणाली

एक ऋणदाता इन निदेशों में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में पहचान और वर्गीकृत करेगा। इरादतन चूककर्ताओं की पहचान उधारकर्ताओं के पिछले रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए तथा इसका निर्णय इक्के-दुक्के लेन-देन/घटनाओं के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। इरादतन चूक के रूप में वर्गीकृत की जानेवाली चूक आवश्यक रूप से उद्देश्य के साथ, जान बूझकर और सोच-समझकर की गई चूक होनी चाहिए और उपर्युक्त पैरा 3 (1) (टी) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए।

(ए) (i) इरादतन चूककर्ता के साक्ष्य की जांच एक पहचान समिति द्वारा की जाएगी।

(ii) यदि पहचान समिति को लगता है कि ऋण न चुकाने की घटना इरादतन हुई है, तो वह उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और कारण बताओ नोटिस जारी करने के 21 दिनों के भीतर उनसे प्रस्तुतियाँ माँगेगी। ऋणदाता उन्हें सभी सामग्री और जानकारी का खुलासा करेंगे जिस पर कारण बताओ नोटिस आधारित है।

स्पष्टीकरण: निदेशक/व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, का मतलब जो उस समय कंपनी/इकाई से जुड़े थे जब कंपनी/इकाई द्वारा की गई भूल या चूक के कारण डिफ़ॉल्ट हुआ था।

(iii) प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और जहां संतुष्ट हो, पहचान समिति लिखित में कारण बताकर इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण हेतु समीक्षा समिति को प्रस्ताव देगी।

(iv) उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, उन्हें इसके कारण बताते हुए इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव के बारे में उचित रूप से सूचित करेगी।

(v) उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों को, जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, पहचान समिति से ऐसे प्रस्ताव के 15 दिनों के भीतर समीक्षा समिति को लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(vi) प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के साथ पहचान समिति के प्रस्ताव पर समीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(vii) समीक्षा समिति उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। हालाँकि, यदि अवसर का लाभ नहीं उठाया गया या यदि उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, वे व्यक्तिगत सुनवाई में भाग नहीं लेते हैं, तो समीक्षा समिति, लिखित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, सहित रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों या सामग्री का आकलन करने के बाद, पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी और निर्णय लेगी।

(viii) चूंकि उपर्युक्त वर्गीकरण प्रक्रिया एक आंतरिक कार्यवाही है, इसलिए उधारकर्ता/गारंटर/प्रमोटर/निदेशक/ व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा।

(ix) समीक्षा समिति एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगी और उसे इरादतन चूककर्ता को सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यदि पहचान समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि उधारकर्ता/ गारंटर/ प्रवर्तक/ निदेशक/ व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के लिए योग्य नहीं हैं, तो समीक्षा समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) (i) ऋणदाता प्राधिकृत अधिकारियों को नामांकित करने के लिए अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीति के आधार पर दिशानिर्देश तैयार करेंगे, जो क्रमशः पहचान समिति और समीक्षा समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और लिखित आदेश देंगे।

(ii) कारण बताओ नोटिस और प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि इसे सक्षम प्राधिकारी अर्थात् पहचान/समीक्षा समिति की मंजूरी प्राप्त है।

(सी) एक गैर-पूर्णकालिक निदेशक, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक/नामांकित निदेशक भी शामिल है, को तब तक इरादतन चूककर्ता नहीं माना जाएगा जब तक कि यह निर्णायक रूप से स्थापित न हो जाए कि:

(i) उधारकर्ता या गारंटीकर्ता द्वारा इरादतन की गई चूक उनकी सहमति या मिलीभगत से हुई है या

(ii) उसे उधारकर्ता या गारंटीकर्ता द्वारा इरादतन चूक के तथ्य के बारे में पता था, जैसा कि बोर्ड या बोर्ड की समिति की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज की गई कार्यवाही से पता चलता है, लेकिन उसने इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं की है।

(डी) एक गैर-पूर्णकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/नामांकित निदेशक का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अनुबंध ॥ में सूचित किया जाएगा जो दर्शाता है कि वह एक गैर-पूर्णकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/नामांकित निदेशक है।

(2) इरादतन चूक की पहचान के लिए खातों की समीक्षा

(ए) ऋणदाता ₹25 लाख रुपये या उससे अधिक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बकाया राशि वाले सभी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) वाले खातों में 'इरादतन चूक' पहलू की जांच करेगा। यदि आंतरिक प्रारंभिक जांच में जानबूझकर चूक पाई जाती है, तो ऋणदाता खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत [रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आस्ति वर्गीकरण के अनुदेशों के अनुसार] किए जाने के छह (6) महीने के भीतर, उपरोक्त पैरा 4 (1) में निर्धारित तंत्र का पालन करके उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत/घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(बी) उन खातों के संबंध में जहां उपरोक्त पैरा 4(2)(ए) में उल्लिखित प्रारंभिक जांच के दौरान 'इरादतन चूक' देखी नहीं गई थी, ऋणदाता की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार 'इरादतन चूक' से संबंधित पहलुओं की बाद में फिर से जांच बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवधिकता पर की जाएगी।

5. इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध विशिष्ट उपाय

(1) ऋणदाताओं द्वारा आपराधिक कार्रवाई

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ऋणदाता यह जांच कर सकते हैं कि क्या लागू कानून के प्रावधानों के तहत इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित है या नहीं। ऐसे मामलों में जहां आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है, किसी इरादतन चूककर्ता का नाम इरादतन चूककर्ताओं की सूची (एलडब्ल्यूडी) से हटाने से इरादतन चूककर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरें प्रकाशित करना

जैसा कि 'इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरों के प्रकाशन' पर [29 सितंबर 2016 के परिपत्र डीबीआर. सीआईडी. बीसी. सं.17/20.16.003/2016-17](#) (जिसे इस मास्टर निदेश के जारी होने के साथ निरस्त किया जा रहा है) में निर्दिष्ट है, ऋणदाताओं को एक गैर-भेदभावपूर्ण बोर्ड-अनुमोदित नीति तैयार करेंगे

जिसमें स्पष्ट रूप से मानदंड निर्धारित होंगे जिसके आधार पर वर्गीकृत और घोषित किए गए इरादतन चूककर्ता व्यक्तियों की तस्वीरें प्रकाशित की जाएंगी।

(3) इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध दंड और अन्य उपाय

(ए) नीचे उल्लिखित दंडात्मक प्रावधान ऋणदाताओं द्वारा लागू किए जाएंगे।

- (i) किसी भी ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता को या किसी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता संबंधित है, को अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- (ii) किसी इरादतन चूककर्ता या किसी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता संबंधित है, को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर रोक ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता का नाम इरादतन चूककर्ताओं की सूची (एलडब्ल्यूडी) से हटा दिए जाने के बाद **एक (1) वर्ष** की अवधि तक प्रभावी होगी।
- (iii) ऋणदाता द्वारा एलडब्ल्यूडी से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाए जाने के बाद **पांच (5) वर्षों** की अवधि के लिए किसी भी ऋणदाता द्वारा किसी इरादतन चूककर्ता या किसी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता संबंधित है, को नए उद्यम शुरू करने के लिए कोई क्रेडिट सुविधा नहीं दी जाएगी।
- (iv) इरादतन चूककर्ता या किसी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता संबंधित है, ऋण सुविधा के पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे। एलडब्ल्यूडी से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बाद, इरादतन चूककर्ता या किसी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता संबंधित है, उपर्युक्त पैरा 5 (3) (ए) (ii) में निहित प्रावधान के अधीन, पुनर्गठन के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण:

(ए) यदि इरादतन चूककर्ता एक कंपनी है, तो किसी अन्य कंपनी को उसके साथ संबंधित माना जाएगा, अगर वह कंपनी -

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2(87) के तहत परिभाषित एक अनुषंगी कंपनी है।
- ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (6) के तहत 'संयुक्त उद्यम' या 'सहयोगी कंपनी' की परिभाषा के भीतर आती है।

(बी) यदि इरादतन चूककर्ता स्वाभाविक व्यक्ति है, सभी संस्थाएं जिनमें वह प्रमोटर या निदेशक या जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, को संबंधित माना जाएगा।

(सी) उपर्युक्त दंडात्मक प्रावधान संबंधित संस्थाओं पर तब लागू नहीं होंगे, जब वे इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित नहीं रहेंगे।

(डी) ऐसे मामलों में जहां मौजूदा प्रवर्तकों को [7 जून 2019 के परिपत्र 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा'](#) (समय-समय पर संशोधित) में निहित निदेशों के अनुसार नए प्रवर्तकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और उधारकर्ता कंपनी को ऐसे पूर्ववर्ती प्रवर्तकों /प्रबंधन से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, ऋणदाता पूर्ववर्ती प्रवर्तकों /प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उनकी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्गठन पर विचार कर सकते हैं।

(बी) प्रसंविदा का समावेश

(i) ऋणदाता को उधारकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान करते समय करार में यह प्रसंविदा शामिल करनी होगी कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को अपने बोर्ड या इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, शामिल नहीं करेगा जिसका नाम एलडब्ल्यूडी में हो।

(ii) यदि ऐसा कोई व्यक्ति इसके बोर्ड में या इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पाया जाता है, तो उधारकर्ता ऐसे व्यक्ति को बोर्ड से या इकाई के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

(iii) किसी भी परिस्थिति में कोई ऋणदाता द्वारा ऐसे उधारकर्ता को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं का नवीनीकरण/संवर्द्धन/नए ऋण उपलब्ध नहीं कराएगा या मौजूदा सुविधाओं का पुनर्गठन नहीं करेगा, जब तक कि उसके प्रवर्तक और/या निदेशक (निदेशकों) और/या इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एलडब्ल्यूडी में शामिल रहे।

(सी) कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करना

ऋणदाता द्वारा, जहां भी आवश्यक हो, बकाया राशि के पुरोबंध/वसूली के लिए उधारकर्ताओं/गारंटर्स के विरुद्ध शीघ्रता से कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

6. पारदर्शी तंत्र का प्रावधान

ऋणदाता को इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की पूरी प्रक्रिया के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करना होगा ताकि दंडात्मक प्रावधानों को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जा सके और विवेकाधिकार की संभावना समाप्त हो सके।

7. आंतरिक लेखा-परीक्षा की भूमिका

(1) ऋणदाता को अपने आंतरिक लेखा-परीक्षकों से किसी उधारकर्ता को इरादतन चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत करने के निर्देशों के अनुपालन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

(2) ऋणदाता की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा इरादतन चूक के मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और ऐसी घटनाओं को रोकने और उनकी प्रारंभिक पहचान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की अनुशंसा करेगी। समीक्षा में इरादतन चूक के मूल कारणों की पहचान करने तथा ऋणदाता द्वारा अपनाई गई इरादतन चूक की वर्गीकरण प्रक्रिया में कमियों (यदि कोई हो) को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

8. गारंटर का दायित्व (देनदारी)

(1) गारंटर का दायित्व (देनदारी) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 128 के अनुसार, गारंटर की देयता मूल देनदार के देयता के साथ सहविस्तृत होती है जब तक कि यह अनुबंध द्वारा इसके विपरीत कोई प्रावधान न किए गए हों।

(2) जब मूल देनदार द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान करने में कोई चूक होती है, ऋणदाता मूल देनदार के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों को समाप्त किए बिना भी गारंटर के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम होगा।

(3) जहां किसी ऋणदाता ने मूल देनदार द्वारा की गई चूक के कारण गारंटीकर्ता पर दावा किया है, तो गारंटर की देनदारी तत्काल होती है।

(4) यदि उक्त गारंटर ऋणदाता द्वारा की गई मांग का पालन करने से इनकार करता है, तो ऐसे गारंटर को भी इन निर्देशों के पैरा 4 में निर्धारित तंत्र का पालन करके इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(5) किसी समूह में एक उधारकर्ता कंपनी द्वारा इरादतन की गई चूक के संबंध में कार्यवाही करते समय, ऋणदाताओं को चाहिए कि वे एकल कंपनी द्वारा अपने उधारदाताओं को ऋण की चुकौती संबंधी व्यवहार के संदर्भ में उसके पिछले रिकार्ड को भी ध्यान में रखें। ऐसे मामलों में जहां इरादतन चूक करने वाली इकाइयों की ओर से समूह के भीतर कंपनियों द्वारा दी गई गारंटी का ऋणदाताओं द्वारा आह्वान करने पर भुगतान नहीं किया गया हो, ऐसी समूह कंपनियों को भी इन निदेशों के पैरा 4 में निर्धारित तंत्र का पालन करके इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

अध्याय III

इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग

9. बड़े चूककर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) बड़े चूककर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे, भले ही वे इन निर्देशों में दी गई 'ऋणदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हों या नहीं।

(2) रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएँ, जिनमें 'ऋणदाता' भी शामिल हैं, मासिक अंतराल पर बड़े चूककर्ताओं के संबंध में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को अनुबंध में जानकारी प्रस्तुत करेंगी -

(ए) बड़े चूककर्ताओं के वाद दायर खातों की सूची; और

(बी) बड़े चूककर्ताओं के गैर-वाद दायर खातों की सूची, जिनके खाते को संदिग्ध या हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है (रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार)।

(3) ₹1 करोड़ के कट-ऑफ पॉइंट की गणना के लिए, अप्रयुक्त ब्याज, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाएगा। वाद दायर खातों के मामले में, कट-ऑफ पॉइंट उस राशि से संबंधित होगा, जिसके लिए वाद दायर किया गया है।

(4) सीआईसी द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 में परिभाषित सभी क्रेडिट संस्थानों को बड़े चूककर्ताओं के गैर वाद दायर खातों की सूची तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

(5) सीआईसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर बड़े चूककर्ताओं के वाद दायर खातों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: (ए) इन निर्देशों के प्रयोजनों के लिए, 'वाद दायर खाते' शब्द का अर्थ उन खातों से होगा जिनके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित ऋणदाताओं ने अपनी शेष राशि की वसूली के लिए अदालतों या न्यायाधिकरणों (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत सहित) से संपर्क किया है, और कार्यवाही लंबित है।

(बी) यदि मूल वसूली कार्यवाही की निरंतरता में कोई आवेदन, अपील या निष्पादन लंबित है तो ऐसे खातों को वाद दायर के रूप में माना जाएगा।

(सी) वाद दायर खातों को उन खातों में शामिल माना जाएगा जिनमें सरफेसी (SARFAESI) कार्यवाही अथवा राजस्व वसूली कार्यवाही या सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों के अंतर्गत वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है, एवं इसमें देनदार का खाता शामिल होगा जिसके विरुद्ध समाधान या परिसमापन कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और जारी है।

10. इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) सभी ऋणदाताओं द्वारा मासिक अंतराल पर, इन निर्देशों के पैरा 3.1. (यू) में परिभाषित इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में जानकारी सभी सीआईसी को अनुबंध II में प्रस्तुत की जाएगी -

(ए) वाद दायर खातों के संबंध में इरादतन चूककर्ताओं की सूची (एलडब्ल्यूडी)

(बी) गैर- वाद दायर खातों के संबंध में एलडब्ल्यूडी

(2) नीचे दिये पैरा 11 (2) में प्रावधान के अधीन, ऋणदाता या एआरसी जिसको खाता हस्तांतरित किया गया है, वह सभी सीआईसी को एलडब्ल्यूडी से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बारे में तुरंत और 30 दिनों के भीतर सूचित करेंगे, जब बकाया राशि ₹25 लाख की सीमा, या जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, से नीचे आती है।

(3) प्रत्येक सीआईसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर एलडब्ल्यूडी के वाद दायर और गैर वाद दायर खातों को प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) भारत में निगमित बैंकों की विदेशी शाखाओं में इरादतन चूक के दर्ज मामले सूचित किए जाएंगे, यदि ऐसा खुलासा मेजबान देश के कानूनों के तहत निषिद्ध नहीं है।

(5) यदि मिडिल लेयर या उससे ऊपर की कोई एनबीएफसी या टियर 3 या 4 के अंतर्गत आने वाला कोई गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन मानदंड या यूसीबी के लिए संशोधित नियामक ढांचे के अनुसार, बाद की समीक्षा के दौरान एनबीएफसी-बेस लेयर या टियर 1 या 2 के अंतर्गत गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत हो जाता है, तो ऐसी एनबीएफसी/ शहरी सहकारी बैंक अपने उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पात्र नहीं होंगी। हालाँकि, ये एनबीएफसी/ शहरी सहकारी बैंक सीआईसी को उनके द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक आंकड़ों से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।

11. समझौता निपटान का निर्वाहन

- (1) एलडब्ल्यूडी में शामिल कोई भी खाता, जहां ऋणदाता या एआरसी ने उधारकर्ता के साथ समझौता करार किया है, उसे एलडब्ल्यूडी से केवल तभी हटाया जाएगा जब उधारकर्ता ने समझौता राशि का पूरा भुगतान कर दिया हो⁵।
- (2) जब तक केवल आंशिक भुगतान किया गया हो, तब तक उधारकर्ता का नाम एलडब्ल्यूडी से नहीं हटाया जाएगा, भले ही बकाया राशि ₹25 लाख, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित, की सीमा से कम हो।
- (3) इरादतन चूककर्ता के साथ समझौता ऋणदाता या एआरसी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। ऐसी नीति में कर्मचारियों की जवाबदेही जांच, बोर्ड को समझौते/निपटान की रिपोर्ट करना, अधिक अग्रिम भुगतान यदि कोई हो तो, आदि, पर दिशानिर्देश शामिल होंगे।
- (4) समझौता निपटान इरादतन चूक करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

12. अन्य ऋणदाताओं और एआरसी को बेचे गए चूक किए गए ऋणों का निर्वाहन

- (1) ₹25 लाख और उससे अधिक के बकाया वाले चूक किए गए ऋण को अन्य हस्तांतरितकर्ताओं को हस्तांतरित करने से पहले, भले ही एनपीए के रूप में वर्गीकरण हुआ हो या नहीं, ऋणदाता को आंतरिक रूप से इरादतन चूक के परिप्रेक्ष्य से एक व्यापक जांच करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में आवश्यक रूप से दो-चरणीय समिति को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रत्येक डिफ़ॉल्ट किये ऋण के लिए इरादतन चूक के पहलुओं की गहन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
- (2) ऐसे मामले में जहां इरादतन चूक की बात सामने आती है, ऋणदाता उपरोक्त पैरा 4 (1) में निर्धारित तंत्र के अनुसार उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे, और अन्य ऋणदाताओं/एआरसी को आस्ति बेचने से पहले एलडब्ल्यूडी में सीआईसी को इसकी रिपोर्ट करेंगे।
- (3) की गई रिपोर्टिंग का विवरण “हस्तांतरिती” ऋणदाताओं/एआरसी को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए तथा इसके बाद वे सीआईसी को इसकी रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

⁵ ऐसे मामलों में जहां एक ऋण देने वाली संस्था निपटान की शर्तों का पालन न करने के कारण निपटान को रद्द करने का निर्णय लेती है और उधारकर्ता द्वारा देय राशि को संशोधित करती है, रिपोर्टिंग संशोधित राशि के संदर्भ में होगी।

(4) अन्य ऋणदाताओं/एआरसी को की गई बिक्री को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के लिए सीमा की गणना करने और सीआईसी को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए वसूली नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऋण राशि अभी पूरी तरह से वसूल नहीं हुई है।

(5) "हस्तांतरिती" ऋणदाता/एआरसी खाते को इरादतन चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करना जारी रखेंगे, जब तक कि उनके खाते में पुनर्प्राप्त की जाने वाली शेष राशि और "हस्तांतरणकर्ता" ऋणदाता द्वारा बड़े खाते में डाली गई राशि ₹25 लाख, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित, की सीमा से कम न हो जाए, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 11 में निहित प्रावधानों के अधीन दर्शाया गया है।

13. ऐसे खातों के उपाय जहां समाधान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)/रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा दिशानिर्देशों के अंतर्गत किए जाते हैं

(1) यदि कोई खाता एलडब्ल्यूडी में शामिल है और बाद में परिसमापन हो गया है या जहां समाधान [या तो आईबीसी के तहत या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी [7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे](#) (समय-समय पर संशोधित) के तहत] के परिणामस्वरूप इकाई/व्यावसायिक उद्यम के प्रबंधन और नियंत्रण में बदलाव होता है, ऐसे उधारकर्ता या गारंटर का नाम जिसे इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था [जिसमें कंपनी के मामले में, उसके प्रवर्तकों और निदेशक, और इकाई (कंपनियों के अलावा) के मामले में, वे व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, शामिल हैं], आईबीसी या पूर्वोक्त विवेकपूर्ण ढांचे के तहत समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद एलडब्ल्यूडी से हटा दिया जाएगा।

(2) पैरा 5 (3) (ए) में बताए गए दंडात्मक उपाय आईबीसी अथवा उपर्युक्त विवेकपूर्ण ढांचे के तहत समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद ऐसी संस्थाओं/व्यावसायिक उद्यमों पर लागू नहीं होंगे।

(3) पैरा 5 (3) (ए) (ii) और (iii) में विस्तृत दंडात्मक उपाय पूर्ववर्ती प्रवर्तक(ओं)/ निदेशकों/ गारंटीकर्ता(ओं) /व्यक्तियों जो इकाई/व्यावसायिक उद्यम के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, पर लागू होते रहेंगे और उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जहां वे एक प्रवर्तक या निदेशक या इसके प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में संबंधित हैं।

14. सही रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी

(1) सही जानकारी देने और तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित ऋणदाता की है।

(2) सीआईसी को जानकारी प्रस्तुत करते समय ऋणदाताओं को निदेशकों के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करनी होगी, और जहां भी संभव हो, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए डेटाबेस के साथ क्रॉस-चेकिंग करनी होगी।

15. गारंटीकर्ताओं की रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं या ऋणदाताओं, जहाँ भी लागू हो, को सीआईसी को उन गारंटीकर्ताओं का विवरण रिपोर्ट करना होगा जो बड़े चूककर्ता/इरादतन चूककर्ता के रूप में, जैसा भी मामला हो, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। विवरण अनुबंध 1 और 11 के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा।

16. निदेशकों की रिपोर्टिंग

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों के मामले में, इन निदेशों के प्रावधानों के अधीन, ऋणदाताओं को संबंधित व्यक्तियों की बेहतर पहचान की सुविधा के लिए निदेशकों के पूरे नाम अनुबंध 1 और 11 के निदेशक कॉलम में भी रिपोर्ट करने होंगे।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशकों की सही पहचान की गई है और किसी भी स्थिति में, जिन व्यक्तियों के नाम एलडब्ल्यूडी में दिखाई देने वाले निदेशकों के नामों के समान प्रतीत होते हैं, उन्हें ऐसे आधारों पर गलत तरीके से क्रेडिट सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाता है, ऋणदाताओं को सीआईसी को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) को अनुबंध 1 और 11 में एक फ़ील्ड के रूप में शामिल करना होगा।

अध्याय IV
निवारक उपाय और लेखा परीक्षकों की भूमिका

17. निवारक उपाय

(1) क्रेडिट मूल्यांकन

(ए) क्रेडिट मूल्यांकन करते समय, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा यह सत्यापित किया जाएगा कि क्या किसी कंपनी के निदेशकों/गारंटर्स/इकाई के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों में से किसी का नाम, डीआईएन/पैन आदि का संदर्भ लेते हुए, बड़े चूककर्ताओं/एलडब्ल्यूडी की सूची में है अथवा नहीं।

(बी) समान नामों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह के मामले में, ऋणदाता द्वारा उधार लेने वाली कंपनी से घोषणा मांगने के बजाय निदेशकों की पहचान की पुष्टि के लिए स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग किया जाएगा।

(2) निधि उपयोग की निगरानी

(ए) रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएँ निधियों के उपयोग पर बारीकी से निगरानी रखेंगी और उधारकर्ताओं से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था। उधारकर्ताओं द्वारा गलत प्रमाणीकरण के मामले में, रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएँ उधारकर्ताओं के विरुद्ध जहाँ भी आवश्यक हो, आपराधिक कार्यवाही सहित उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर विचार करेंगी।

(बी) ऋणदाताओं द्वारा निधियों के उद्दिष्ट उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताएं और संबंधित उचित उपाय उनके ऋण नीति दस्तावेज़ का एक हिस्सा होंगे। ऋणदाताओं द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी और उद्दिष्ट उपयोग सुनिश्चित करने के उपायों की एक उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:

- (i) उधारकर्ताओं की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/परिचालन विवरण/तुलन पत्र की सार्थक जांच;
- (ii) ऋणदाता को जमानत के रूप में प्रभारित की गई उधारकर्ताओं की परिसंपत्तियों का नियमित रूप से निरीक्षण;
- (iii) उधारकर्ताओं के खातों और अन्य ऋणदाताओं के साथ रखे गए ग्रहणाधिकार रहित (नो-लियन) खातों की आवधिक जांच;
- (iv) सहायता प्राप्त इकाइयों का आवधिक दौरा;
- (v) कार्यशील पूंजी वित्त के मामले में स्टॉक की आवधिक लेखा-परीक्षा की प्रणाली;

(vi) ऋणदाता के 'क्रेडिट' कार्य का आवधिक तौर पर व्यापक प्रबंध लेखा-परीक्षा, जिससे उनके ऋण-व्यवस्था में विद्यमान प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान की जा सके।

(सी) परियोजना वित्तपोषण के मामलों में, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को निधियों के उद्दिष्ट उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रयोजन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणन प्राप्त करें। हालांकि, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने ऋण संविभाग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण को भी मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, सभी मामलों में, विशेष रूप से अल्पकालिक कॉर्पोरेट/ बेजमानती ऋणों के मामले में, इस तरह के दृष्टिकोण के पूरक के रूप में विनियमित संस्थाओं द्वारा स्वयं 'उचित सावधानी' बरती जानी चाहिए, तथा इस प्रकार के ऋण यथासंभव ऐसे उधारकर्ताओं तक सीमित होने चाहिए जिनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता उपयुक्त स्तर तक हो।

18. सांविधिक लेखा-परीक्षकों की भूमिका

(1) यदि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ताओं की ओर से खातों में किसी भी तरह की हेराफेरी पाई जाती है, और लेखा-परीक्षकों को लेखा-परीक्षा करने में लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो ऋणदाता राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)/ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के पास उधारकर्ताओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज करने पर विचार करेगा ताकि वे जाँच-पड़ताल कर उक्त लेखा-परीक्षकों की जवाबदेही तय कर सकें।

(2) एनएफआरए/आईसीएआई द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने तक, शिकायतें रिजर्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भेज दी जाएंगी। रिजर्व बैंक और आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, ऋणदाताओं को संबंधित लेखा परीक्षकों की भागीदारी के बारे में संतुष्ट होना होगा और उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्रदान करना होगा। इस संबंध में, ऋणदाताओं को सामान्य कार्यपद्धति और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, जिन्हें उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाएगा।

(3) ऋणदाताओं से प्राप्त ऐसी जानकारी के आधार पर, आईबीए द्वारा, ऋणदाताओं के बीच वितरण के लिए ऐसे लेखा परीक्षकों की एक सतर्कता सूची तैयार की जाएगी, जिनपर उन्हें कोई भी काम सौंपने से पहले इस पहलू पर विचार करना होगा।

(4) निधियों के उद्दिष्ट उपयोग की निगरानी करने की दृष्टि से, यदि ऋणदाता उधारकर्ताओं द्वारा धनराशि के विपथन/धन की हेराफेरी के संबंध में उधारकर्ताओं के लेखा परीक्षकों से एक विशिष्ट प्रमाणीकरण चाहता है, तो ऋणदाता को इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षकों को एक अलग अधिदेश देना चाहिए। लेखा परीक्षकों द्वारा इस तरह के प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए, ऋणदाताओं को यह

सुनिश्चित करना होगा कि ऋण समझौतों में उचित अनुबंधों को शामिल किया गया है ताकि ऋणदाताओं द्वारा लेखा परीक्षक को इस तरह का अधिदेश दिया जा सके।

(5) उपर्युक्त के अलावा और उधारकर्ताओं द्वारा धन की विपथन / हेराफेरी को रोकने की दृष्टि से, ऋणदाता उधारकर्ताओं के लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणीकरण पर भरोसा किए बिना ऐसे विशिष्ट प्रमाणीकरण के लिए अपने स्वयं के लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(6) इरादतन चूक के पीछे उधारकर्ताओं के कृत्यों की प्रकृति और सामान्य प्रक्रिया में ऋणदाताओं के पास उपलब्ध साक्ष्य की गुणवत्ता के आधार पर, ऋणदाता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक बकाया वाले खातों के संबंध में, ऋणदाता उधारकर्ताओं के मामलों और उनके खातों की बहियों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने पर विचार करेगा।

19. तृतीय पक्ष की भूमिका

(1) जैसा कि [15 जुलाई, 2024 को वाणिज्यिक बैंकों \(आरआरबी सहित\) और एआईएफआई/ यूसीबी, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों/ एनबीएफसी \(हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित\) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेशों](#) (समय-समय पर अद्यतन) के पैरा 4.2 में निर्धारित है, इरादतन चूक के मामले में ऋणदाता द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष के लिए भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, यदि उन्होंने ऋण स्वीकृति/संवितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे अपने काम में लापरवाह या दोषपूर्ण पाए गए हैं या उधारकर्ता को इरादतन चूक करने में मदद की है।

(2) ऋणदाता इन तृतीय पक्षों का विवरण अभिलेख के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भेजेगा। यह आवश्यकता इस मास्टर निदेश के तहत परिभाषित सभी ऋणदाताओं पर लागू होगी, चाहे उनकी आईबीए के साथ सदस्यता की स्थिति कुछ भी हो। ऐसी जानकारी के आधार पर, आईबीए ऐसे तृतीय पक्षों की सावधानी सूची तैयार करेगा और रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं को प्रसारित करेगा, जो उन्हें कोई भी काम सौंपने से पहले इस पहलू पर विचार करेंगे।

(3) आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, ऋणदाताओं को संबंधित तीसरे पक्षों की संलिप्तता के बारे में संतुष्ट होना होगा और उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्रदान करना होगा। इस संबंध में, ऋणदाताओं को उचित प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है, जिसे उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाएगा।

अध्याय V

निरसन प्रावधान

- 20.** इन निर्देशों के लागू होने के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिशिष्ट में उल्लिखित परिपत्रों में शामिल अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो जाएंगे।
- 21.** उपर्युक्त परिपत्रों के अंतर्गत दिये गए सभी अनुमोदन/ स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत पूर्ण की गई शर्तों के अनुसार ही मान्य होंगी।
- 22.** इन निर्देशों के लागू होने की तिथि तक निरस्त परिपत्रों के तहत किए गए सभी कार्य मान्य होंगे।

अनुबंध I

₹1 करोड़ और उससे अधिक (वाद दायर /गैर वाद दायर खाते) के बड़े चूककर्ताओं की सूची का मासिक आधार पर सभी सीआईसी को प्रस्तुत करने का प्रारूप

(रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी इकाइयों को यह डेटा सीआईसी को रिपोर्ट करना होगा - कृपया इस मास्टर निदेश के अध्याय III के पैरा 9 का संदर्भ लें)

फ़ील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम फ़ील्ड लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है	जनवरी 2024 महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा 'JAN24' के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	मेंबर आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	इस फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	मेंबर नेम	कैरेक्टर	200	सदस्य का नाम	इसमें उस सदस्य का नाम अवश्य होना चाहिए जो डेटा रिपोर्ट कर रहा है।
4.	मेंबर ब्रांच	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	स्टेट	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	बॉरोअर नेम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।

7.	बॉरोअर पैर	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैर)
8.	बॉरोअर एड्रेस	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	
9.	आउटस्टैंडिंग एमाउंट	न्यूमरिक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि ₹ लाख में (पूर्णांकित)
10.	सूट स्टेट्स	न्यूमरिक	2	वैध मान 01 - वाद दायर 02 - गैर वाद दायर	वाद दायर किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11.	आस्ति वर्गीकरण	कैरेक्टर	5	वैध मान गैर वाद दायर खातों के लिए संदिग्ध खातों के लिए 'DOUBT' हानि खातों के लिए 'LOSS' वाद दायर खातों के लिए संदिग्ध खातों के लिए 'DOUBT' हानि खातों के लिए 'LOSS' अवमानक खातों के लिए 'SUBST' मानक खातों के लिए 'STD'	आस्ति वर्गीकरण
12.	आस्ति वर्गीकरण दिनांक	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसमें खाते को	आस्ति वर्गीकरण की तारीख को

				'mmmyy' प्रारूप में 'DOUBT'/ 'LOSS/ SUBSTD/ STD' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां mmm का मतलब महीने के पहले 3 अक्षर हैं। वर्गीकरण की तारीख 'मार्च 2000' को 'MAR00' के रूप में भरा जाना चाहिए।	इंगित करता है
13.	अदर मेंबर	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।
14.	डायरेक्टर/प्रमोटर नेम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/प्रमोटर का नाम।
15.	डायरेक्टर/प्रमोटर डीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक/प्रमोटर का डीआईएन।
16.	डायरेक्टर/प्रमोटर पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	निदेशक/प्रमोटर का पैन।
17.	गारंटर नेम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर	गारंटर का पूरा नाम इंगित किया जाना

				होनी चाहिए	चाहिए।
18.	गारंटर नेम	कैरेक्टर	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
19.	गारंटर सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	व्यक्तिगत/कानूनी इकाइयों के मामले में

टिप्पणी:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटर्स की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्णकालिक निदेशक के अलावा स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक सहित अन्य निदेशक को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- सरकारी उपक्रमों के मामले में अध्यक्ष/निदेशक आदि का नाम देने के स्थान पर _____ 'सरकार का उपक्रम' शब्द का प्रयोग करें।
- वाद दायर करने तथा गैर-वाद दायर करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।

अनुबंध II

इरादतन ऋण न चुकाने के मामलों (वाद दायर /गैर वाद दायर खाते) में मासिक आधार पर सभी सीआईसी को डेटा प्रस्तुत करने का प्रारूप।

(इस मास्टर निदेश के पैरा 3 (1) (एम) में परिभाषित ऋणदाता को यह डेटा सीआईसी को रिपोर्ट करना होगा)

फ़ील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम फ़ील्ड लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है	जनवरी 2024 महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा ' JAN24 ' के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	मेंबर आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	इस फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	मेंबर नेम	कैरेक्टर	200	सदस्य का नाम	इसमें उस सदस्य का नाम अवश्य होना चाहिए जो डेटा रिपोर्ट कर रहा है।
4.	मेंबर ब्रांच	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	स्टेट	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	बॉरोअर नेम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।
7.	बॉरोअर पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैन)
8.	बॉरोअर एड्रेस	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	

9.	आउटस्टैंडिंग एमाउंट	न्यूमरिक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि ₹ लाख में (पूर्णांकित)
10.	सूट स्टेट्स	न्यूमरिक	02	वैध मान 01 - वाद दायर 02 - गैर वाद दायर	वाद दायर किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11.	अदर मेंबर	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।
12.	डायरेक्टर/प्रमोटर नेम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/प्रमोटर का पूरा नाम इंगित किया जाना चाहिए।
13.	डायरेक्टर/प्रमोटर डीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक की 8-अंकीय निदेशक/प्रमोटर पहचान संख्या।
14.	डायरेक्टर/प्रमोटर पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	निदेशक/प्रमोटर का पैन।
15.	गारंटर नेम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	गारंटर का पूरा नाम
16.	गारंटर सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
17.	गारंटर पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	स्थायी खाता संख्या	व्यक्तिगत / कानूनी संस्थाओं के मामले में

टिप्पणी:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटर्स की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- डेटा/सूचना सेक्योर फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- वाद दायर करने तथा गैर-वाद दायर करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।

परिशिष्ट
मास्टर निदेश जारी होने के साथ निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची

क्रम सं	परिपत्र सं	तारीख	विषय
1	डीबीओडी.सं.बीसी.47/20.16.002/94	23.04.1994	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
2	डीबीओडी.सं.बीसी.40/20.16.002/94	09.07.1994	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
3	डीबीओडी.सं.बीसी.सीआईएस.225/20.16.002/95	03.02.1995	चूककर्ता उधारकर्ता के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण।
4	डीबीओडी.सं.सीआईएस.7/20.16.002/95	10.07.1995	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
5	डीबीओडी.सं.सीआईएस.32/20.16.002/95-96	26.07.1995	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
6	डीबीओडी.सं.सीआईएस.बीसी.92/20.16.001/95-96	31.08.1995	क्रेडिट जानकारी का संग्रहण और प्रस्तुतीकरण - आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45सी(1)
7	डीबीओडी.सं.बीसी.सीआईएस.(डी).135/20.16.002/95-96	24.11.1995	चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण
8	डीबीओडी.सं.बीसी.डीईएफ़./52/20.16.002/95-96	11.04.1996	सूचना का प्रकटीकरण - फ्लॉपी डिस्कट पर 31.3.1996 को चूककर्ताओं की सूची और 31.3.1996 को वाद दायर खातों के विवरण
9	यूबीडी.सं.बीआर.6/16.74.00/95-96	06.05.1996	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
10	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.71ए/20.16.002/96	11.06.1996	चूककर्ता उधारकर्ताओं पर सूचना का प्रकटीकरण
11	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.156/20.16.002/96	06.12.1996	चूककर्ता उधारकर्ताओं पर सूचना का प्रकटीकरण
12	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.155/20.16.002/97-98	22.12.1997	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण - सितंबर 1996 को समाप्त छमाही

13	डीबीओडी.डीएल.बीसी.सं.23/20.16.002/98	24.03.1998	सूचना का प्रकटीकरण – वाद दायर खातों की सूची प्रस्तुत करना
14	यूबीडी.सं.बीआर.3/16.74.00/98-99	29.07.1998	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
15	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.106/20.16.002/98-99	11.11.1998	फ्लॉपी डिस्कट्स पर चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करना और वाद दायर खातों को प्रस्तुत करना
16	डीबीओडी.सं.डीएल(डबल्यू).बीसी.12/20.16.002 (1) /98-99	20.02.1999	₹25 लाख और उससे अधिक की इरादातन चूक के मामलों पर सूचना का संग्रहण और प्रसार
17	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.46/20.16.002/98-99	10.05.1999	चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण - चूककर्ता/वाद दायर खातों की सूची और इरादातन चूक करने पर डेटा
18	डीबीओडी.डीएल(डबल्यू)952/20.16.002/98-99	27.05.1999	₹25 लाख और उससे अधिक की इरादातन चूक के मामलों पर सूचना का संग्रहण और प्रसार
19	यूबीडी.सं.बीआर.11/16.74.00/98-99	30.06.1999	₹25 लाख और उससे अधिक की इरादातन चूक के मामलों पर सूचना का संग्रहण और प्रसार
20	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.4/20.16.002/99-2000	21.10.1999	चूककर्ताओं के नामों का प्रकटीकरण
21	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.104/20.16.002/99-2000	23.10.1999	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के उधारकर्ताओं द्वारा लंबित अदालती मामलों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
22	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.117/20.16.002/99-2000	30.10.1999	₹1 करोड़ और उससे अधिक के चूककर्ताओं बारे में जानकारी का प्रकटीकरण - वाद दायर खातों की सूची - त्रैमासिक अद्यतनीकरण
23	डीबीओडी.सं.डीएल/240/20.16-002/99-2000	01.12.1999	चूककर्ताओं के नामों का प्रकटीकरण
24	डीबीओडी.सं.डीएल(डबल्यू).बीसी.161/20.16.002/99-2000	01.04.2000	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी का संग्रह और प्रसार
25	डीबीओडी.सं.बीसी.68/डीएल/20.16.002/2000-2001	12.01.2001	चूककर्ताओं के नामों का प्रकटीकरण - ऋण दस्तावेजों में सहमति खंड को शामिल करना

26	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल/93/20.16.0 02/2000-01	23.03.2001	चूककर्ताओं के नामों का प्रकटीकरण
27	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.112/20.16.0 02/2000-01	27.04.2001	चूककर्ताओं के नामों का प्रकटीकरण - ऋण दस्तावेजों में सहमति खंड
28	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.115/21.03.0 38/2000-01	02.05.2001	इरादतन चूक करने वालों से बकाया वसूलने के लिए वाद दायर करना
29	यूबीडी.सं.डीबीआर.212/16.74.00/20 01-02	31.07.2001	इरादतन चूक करने वालों से बकाया वसूलने के लिए वाद दायर करना
30	डीबीओडी.सं.बीसी.44/डीएल/20.16.0 01/2001-02	15.11.2001	चूककर्ताओं के नामों का प्रकटीकरण
31	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.54/20.16.00 1/2001-02	22.12.2001	चूककर्ताओं पर सूचना का संग्रहण एवं प्रसार
32	डीबीओडी.सं.डीएल(डबल्यू).बीसी.110/ 20.16.003(1)/2001-02	30.05.2002	इरादतन चूककर्ता और उनके विरुद्ध कार्रवाई
33	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.111/20.16.0 01/2001-02	04.06.2002	क्रेडिट सूचना ब्यूरो (सीआईबी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करना
34	यूबीडी.बीआर.परि.11/16.74.00/2002 -03	01.08.2002	इरादतन चूककर्ता और उनके विरुद्ध कार्रवाई
35	डीबीओडी.सं.डीएल.बो.29/20.16.002 /2002-03	01.10.2002	क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना - रिपोर्टिंग प्रणाली और सहमति खंड की शुरूआत
36	डीबीओडी.सं.डीएल(डबल्यू).बीसी.58/2 0.16.003/2002-03	11.01.2003	इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों और धन का अन्यत्र उपयोग - उनके खिलाफ कार्रवाई
37	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.7/20.16.003 /2003-04	29.07.2003	इरादतन चूककर्ता और उनके विरुद्ध कार्रवाई
38	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.87/20.16.00 3/2003-04	26.05.2004	वार्षिक नीति वक्तव्य : 2004-05 - इरादतन ऋण नहीं चुकाने वाले - प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण
39	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.88/20.16.00 2/2003-04	28.05.2004	वार्षिक नीति वक्तव्य : 2004-05 - ऋण सूचना का प्रसार - सिबिल की भूमिका
40	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.95/20.16.00 2/2003-04	17.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण - ऋण सूचना का प्रसार - सिबिल की भूमिका
41	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.94/20.16.00 3/2003-04	17.06.2004	वार्षिक नीति वक्तव्य : 2004-05 - इरादतन चूककर्ता - प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण

42	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.16/20.16.003/2004-05	23.07.2004	इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों की जांच और इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ उपाय
43	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.56/20.16.002/2004-05	06.11.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - सिबिल द्वारा ऋण सूचना का प्रसार
44	डीबीओडी.सं.बीसी.डीएल.75/20.16.002/2004-05	11.03.2005	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चूककर्ता उधारकर्ताओं के बारे में सूचना का संग्रह और प्रसार
45	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	17.04.2008	समझौता निपटान के तहत खातों की रिपोर्टिंग
46	डीबीओडी.सं.डीएल(w)बीसी.87/20.16.003/2007-08	28.05.2008	इरादतन चूककर्ता और उनके विरुद्ध कार्रवाई
47	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.57/16.74.00/2008-09	24.06.2008	इरादतन चूक करने वाले और उनके खिलाफ कार्रवाई - यूसीबी
48	डीबीओडी.सं.डीएल.12738/20.16.001/2008-09	03.02.2009	कॉम्पैक्ट डिस्क पर चूककर्ताओं की सूची (गैर-वाद दायर खाते)/इरादतन चूककर्ताओं (गैर-वाद दायर खाते) के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना।
49	डीबीओडी.सं.डीएल.बीसी.110/20.16.046/2009-10	11.06.2010	क्रेडिट सूचना कंपनियों को डेटा प्रस्तुत करना - क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा का प्रारूप
50	डीबीओडी.सं.सीआईडीबीसी.40/20.16.046/2010-11	21.09.2010	क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करना - निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का समावेश
51	डीबीओडी.सं.सीआईडीबीसी.30/20.16.042/2011-12	05.09.2011	क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना - ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के चूककर्ता और ₹ 25 लाख और उससे अधिक के इरादतन चूककर्ता - वाद दायर खातों की क्रेडिट जानकारी का प्रसार।
52	यूबीडी.सीओ.बीपीडी.परि.सं.19/09.11.200/2011-12	13.02.2012	क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करना - 1 करोड़ के चूककर्ता और 25 लाख के चूककर्ता और एक करोड़ रुपये के चूककर्ता और बैंक - वाद दायर खातों की क्रेडिट जानकारी का प्रसार
53	डीबीओडी.सीआईडीबीसी.128/20.16.003/2013-14	27.6.2014	₹1 करोड़ और उससे अधिक के चूककर्ता (गैर-वाद दायर खाते) और ₹25 लाख और उससे अधिक के इरादतन चूककर्ता (गैर-वाद दायर खाते) - आरबीआई/सीआईसी को रिपोर्टिंग में परिवर्तन

54	डीबीओडी.सं.सीआईडी41/20.16.003/2014-15	09.09.2014	इरादतन चूककर्ताओं पर दिशानिर्देश - गारंटर, उधार देने वाली संस्था और इकाई के बारे में स्पष्टीकरण
55	डीबीआर.सं.सीआईडीबीसी.54/20.16.064/2014-15	22.12.2014	असहयोगी उधारकर्ता
56	डीबीआर.सं.सीआईडीबीसी.89/20.16.003/2014-15	23.04.2015	चूककर्ताओं के बारे में सूचना का संग्रह और प्रसार
57	डीबीआर.सं.सीआईडीबीसी.90/20.16.003/2014-15	23.04.2015	इरादतन चूककर्ताओं के बारे में सूचना का संग्रह और प्रसार
58	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	05.06.2015	इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वालों की समीक्षा समिति का गठन
59	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	05.06.2015	इरादतन चूककर्ता - पहले से वर्गीकृत और रिपोर्ट किए गए खातों के लिए गैर-पूर्णकालिक निदेशकों के नामों को हटाना।
60	डीबीआर.सीआईडी बीसी. No.17/20.16.003/ 2016-17	29.10.2016	इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरें प्रकाशित करना